दिनांक 21.12.2024
प्रेस विज्ञप्ति 27/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा फेक न्यूज और साइबर अपराध के खिलाफ उ0प्र0 पुलिस के अभियान में युवाओं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भागीदारी हेतु "डिजिटल वॉरियर" बनाए जाने के सम्बन्ध मे दिए गए निर्देश

माननीय मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा वर्ष 2018 में एक सार्थक पहल करते हुए व्हाट्सएप पर सक्रिय समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को डिजिटल वालंटियर्स के रूप मे जोड़ा गया था। वर्ष 2023 में उ0प्र0 पुलिस के समस्त पुलिसकर्मियों को जोड़कर "व्हाट्सएप कम्यूनिटी ग्रुप" भी बनाए गए है, जिनकी सहायता से भ्रामक खबरों का खण्डन एवं पुलिस के सराहनीय कार्यों का प्रचार–प्रसार कराया जा रहा है । वर्तमान में लगभग 10 लाख व्यक्ति डिजिटल वालंटियर्स के रूप में एवं लगभग 02 लाख पुलिसकर्मी कम्यूनिटी ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए है। इन डिजिटल वालंटियर्स के रूप में गाँव, मोहल्ले और स्थानीय कस्बे के लोगों को जोड़ा गया था, जिसके सार्थक परिणाम प्राप्त हुए है ।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री प्रशांत कुमार द्वारा इसी दिशा में नवीन पहल करते हुए फेक न्यूज के खण्डन, साइबर अपराध के प्रति जागरूकता एवं पुलिस के सराहनीय कार्यों को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से प्रसारित किए जाने के लिए युवा पीढ़ी के सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स एवं कॉलेज/विश्वविद्यालय के छात्रों को उ0प्र0 पुलिस का "डिजिटल वॉरियर" बनाए जाने के सम्बन्ध मे प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष और कार्यालयाध्यक्ष को महत्त्वपूर्ण निर्देश दिए गए है ।

आवश्यकता :

कॉलेज/विश्वविद्यालय के छात्रों को प्रशिक्षित करने से इनमे आलोचनात्मक सोच को विकसित किया जा सकता है, जिससे वह किसी भी जानकारी का विश्लेषण और सत्यापन करके उ0प्र0 पुलिस के "डिजिटल वॉरियर" बनकर, साइबर क्राइम

एवं फेक न्यूज़ को रिपोर्ट कर सकेंगे । साथ ही यह छात्र अपने सामाजिक दायरे में फेक न्यूज़ एवं साइबर अपराध के प्रति अपने परिवारीजनों एवं मित्रों को भी जागरूक कर सकेंगे ।

महाकुंभ 2025 में जनपद प्रयागराज में डिजिटल वॉरियर के साथ उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक पायलट प्रयोग किया गया है जो अत्यंत सफल रहा है और इसे अब प्रदेश स्तर पर भी लागू किया जा रहा है।

डिजिटल वॉरियर का चयन निम्न 04 श्रेणियों में होगाः–

1– फेक न्यूज के खण्डन एवं साइबर अपराध के प्रति सचेत करने हेतु

2– साइबर अपराध के प्रति जागरुकता हेतु

3– साइबर ट्रेनर के रूप मे

4– पुलिस के अभियानों/सराहनीय कार्यों का प्रचार–प्रसार

इन डिजिटल वॉरियर एवं स्कूल के छात्रों को फेक न्यूज़ एवं साइबर क्राइम की पहचान करने और इसके दुष्प्रभावों के प्रति प्रशिक्षित करने के लिए विश्वविद्यालयों/डिग्री कॉलेजों, स्कूलों में अथवा पुलिस लाइन्स में कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इन कार्यशालाओं में साइबर क्राइम विशेषज्ञों/ फैक्ट चेकर्स, साइबर ट्रेनर और जनपदीय साइबर थाना/ साइबर सेल को शामिल किया जाएगा, जो तकनीकी ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव साझा करेंगे।

जनपदीय पुलिस अधिकारियों द्वारा सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय प्रबन्धन से आग्रह करके '**साइबर क्लब**' स्थापित करवाये जाएंगे एवं एक शिक्षक को इसका नोडल अधिकारी नामित करवाया जाएगा । **उपरोक्त कार्य में शिक्षा विभाग एवं जनपद में प्रशासन से भी सहयोग प्राप्त किया जाएगा।** साइबर क्लब के माध्यम से कार्यशालाएं और रचनात्मक सत्र जैसे पोस्टर बनाना, स्लोगन/लघु कहानियां लिखना, सोशल मीडिया हेतु क्रिएटिव एवं वीडियो कंटेंट बनाना इत्यादि गतिविधियां कराई जाएंगी।

डिजिटल वॉरियर बनाए जाने के लिए निम्न कार्यवाही कमिश्नरेट/ जनपद स्तर/ मुख्यालय स्तर से की जाएगी :–

1. डिजिटल वॉरियर का चयन करना : डिजिटल वॉरियर के रूप में केवल ऐसे व्यक्ति शामिल किए जाएंगे, जिनकी छवि स्वच्छ हो और जो विवादास्पद या नकारात्मक गतिविधियों में शामिल न हों । इस कार्य मे इच्छुक उत्तर प्रदेश के बाहर के सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को भी सम्मिलित किया जा सकता है, ऐसे समस्त डिजिटल वॉरियर को परिपत्र के साथ संलग्न फ़ॉर्म को भरकर देना होगा, जिसका गूगल लिंक भी उपलब्ध कराया जा रहा है ।

2. **स्वैच्छिक सहयोग और उपक्रम (अंडरटेकिंग) लिया जाना** : डिजिटल वॉरियर को चयनित करने से पूर्व उनसे संलग्न फॉर्म के माध्यम से लिखित उपक्रम लिया जाएगा, जिसमें वे यह आश्वस्त करेंगे कि वह पुलिस का सहयोग कर फेक न्यूज़ का खंडन करेंगे, किसी भी प्रकार की फेक न्यूज़ का प्रसार नहीं करेंगे, किसी भी साइबर अपराध में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होंगे, किसी विवादास्पद सामग्री को पोस्ट नहीं करेंगे और भारतीय कानून के अधीन रहकर कार्य करेंगे। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उनका सहयोग स्वैच्छिक होगा और उनकी सहमति के आधार पर होगा। यह सभी कार्य पूर्णतया अवैतनिक होगें।

3. डिजिटल वॉरियर के कार्यों का मासिक विवरणः डिजिटल वॉरियर द्वारा चिन्हित की गई फेक न्यूज, पुलिस के सराहनीय कार्यों व योजनाओं के प्रचार–प्रसार एवं पुलिस द्वारा किए गए खण्डन के व्यापक प्रसार का मासिक विवरण भी संकलित किया जायेगा।

4. नोडल अधिकारी की नियुक्तिः प्रत्येक जनपद में एसपी अपराध/नोडल एसपी क्राइम/डीसीपी क्राइम/ एडीसीपी क्राइम को इस कार्य एवं सोशल मीडिया अभियानों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा ।

5. डिजिटल वॉरियर द्वारा दायित्वों का पालनः कार्य में रुचि न रखने वाले, अपने दायित्वों का दुरुपयोग करने अथवा स्वयं घोषणा पत्र मे उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन करने वाले डिजिटल वॉरियर से उ0प्र0 पुलिस किसी प्रकार का कार्य नहीं लेगी।

6. डिजिटल वॉरियर का प्रोत्साहनः डिजिटल वॉरियर द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के आधार पर प्रतिबद्धता से कार्य करने वाले डिजिटल वॉरियर के गुणवत्तापूर्ण सोशल मीडिया कंटेन्ट को जनपदीय सरकारी सोशल मीडिया पर प्रयोग करने के साथ–साथ उनको प्रशस्ति पत्र एवं मेमेंटों इत्यादि देकर प्रोत्साहित/पुरस्कृत किया जाएगा । पुलिस मुख्यालय द्वारा भी इस दिशा मे उत्कृष्ट कार्य करने वाले डिजिटल वॉरियर को समीक्षोपरांत प्रोत्साहित/पुरस्कृत किया जाएगा ।

उल्लेखनीय है कि फेक न्यूज एवं साइबर क्राइम के खिलाफ जागरूकता अभियान हेतु आयोजित कार्यशालाओं में स्कूल के छात्रों को भी सम्मिलित किया जाएगा परन्तु 'डिजिटल वॉरियर' के रूप मे सिर्फ कॉलेज/ विश्वविद्यालयों के छात्रों एवं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का चयन किया जाएगा ।

जनपद एवं मुख्यालय स्तर पर 'डिजिटल वॉरियर' का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाएगा और पूर्ण प्रशिक्षण के उपरांत **उ0प्र0 पुलिस के 'डिजिटल वॉरियर' फेक न्यूज़ एवं साइबर क्राइम के खिलाफ एक मजबूत दीवार के रूप में कार्य करेंगे।**

दिनांक 21.12.2024
प्रेस विज्ञप्ति 28/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा कानून–व्यवस्था, अपराध नियत्रण, कुम्भ मेला आदि के सम्बन्ध में की गयी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांकः 21.12.2024 को समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त उ0प्र0 के साथ कानून–व्यवस्था, अपराध नियत्रण, आगामी त्यौहारों एवं कुम्भ मेला, साइबर अपराध आदि के सम्बन्ध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा गोष्ठी की गयी।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यतः निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही के निर्देश दिये गये :–

- गम्भीर प्रवृत्ति के अपराधों में संलिप्त फरार अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अधिक से अधिक पुरस्कार घोषित कर अबिलम्ब गिरफ्तारी की जाये तथा सक्रिय अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- जमानत पर रिहा अपराधियों पर निरन्तर सतर्क दृष्टि रखी जाय तथा अपराधिक कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर नियमानुसार जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- गम्भीर एवं जघन्य प्रवृत्ति के अपराधों यथा हत्या, लूट, डकैती आदि का अतिशीघ्र अनावरण कराया जाय।
- लाउडस्पीकरो/ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग मानकों व पूर्व निर्गत निर्देशों के अनुरूप किया जाये तथा इसका उल्लघन करने वाले के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की जाये।
- लम्बित विवेचनाओं का गुणवत्तापूर्ण समयबद्ध निस्तारण कराया जाय तथा इस प्रकार के अपराधों में लिप्त अभियुक्तों के प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- महिला एवं बच्चों से सम्बन्धित अपराधों का अत्यधिक गम्भीरता से लेते हुये संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध त्वरित वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा मुख्यालय स्तर से निर्गत निर्देशों का कड़ाई अनुपालन कराते हुये निर्धारित समयावधि में विवेचनाओं का गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण कराया जाय तथा अभियुक्तों को सजा दिलाये जाने हेतु मा0 न्यायालय प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाये।
- गोबध/गो तस्करी की रोकथाम हेतु कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा गोबध के प्रकरणों में गम्भीरता से विवेचनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। ऐसे अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

- साइबर अपराध से आम जनमानस को बचाने हेतु अधिक से अधिक जनजागरूकता अभियान चलाया जाय तथा साइबर अपराध की घटना घटित होने पर तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- महाकुम्भ–2025 को सकुशल, शान्ति एवं सद्भावपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराये जाने हेतु लगाये गये पुलिस कार्मिकों को साफ्ट सकिल एवं गुड विहैवियर सहित विभिन्न आपदा एवं व्यवहारिक पहलुओं पर विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाय।
- महाकुम्भ के दृष्टिगत रेलवे ट्रैक की सुरक्षा हेतु समस्त कमिश्नरेट/जनपद स्तर पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाय तथा राजकीय रेलवे पुलिस एवं रेलवे सुरक्षा बल द्वारा और अधिक समन्व्य बनाये रखते हुये रेलवे ट्रैक की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- रेलवे ट्रैक एवं रेल यात्रियों की सुरक्षा हेतु जन जागरूकता अभियान चलाया जाय तथा यात्रा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना के सम्बन्ध में तत्काल 112 पर सूचना देने हेतु यात्रियों को जगारूक किया जाय तथा रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वारों पर चेकिंग हेतु लगाये सुरक्षा मानकयंत्रों को सक्रिय रखा जाय तथा रेलवे स्टेशन/प्लेटफार्मो पर एण्टी सोबोटॉज टीम द्वारा प्रभावी चेकिंग करायी जाय।
- लोकसेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा आयोजित परीक्षा के दृष्टिगत अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों पर सतर्क दृष्टि रखी जाय तथा इस प्रकार के असामजिक तत्वों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- क्रिसमस–डे के अवसर पर आयोजन स्थलों तथा चर्च/गिरजाघरों के आस–पास यातायात प्रबन्धन एवं प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये।
- आगामी नववर्ष के अवसर पर कमिश्नरेट/जनपद के संवेदनशील स्थलों व आयोजन स्थलों, होटलों, कल्बों व मनोरंजन गृहों तथा ऐसे स्थान जहाँ नववर्ष के सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हों के आस–पास तथा प्रमुख बाजारों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने नेतृत्व में अधिक से अधिक पुलिस/पीएसी बल के साथ फ्लैगमार्च का आयोजन किया जाय।
- आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अभिसूचना तंत्र को और अधिक सक्रिय रखा जाय तथा छोटी से छोटी सूचना को अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुये तत्परता पूर्वक यथोचित विधिक कार्यवाही की जाये।
- सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो पर 24X7 सर्तक दृष्टि रखी जाय। सोशल मीडिया पर रिस्पान्स टाइम और अधिक तेज किया जाये तथा भ्रामक/आपत्ति जनक पोस्ट, अफवाहों का तत्काल संज्ञान लेते हुये अफवाहों का खण्डन कराया जाय एवं वैधानिक कार्यवाही की जाये।

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश

दिनांक 21.12.2024
प्रेस विज्ञप्ति 29/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद कासगंज/थाना कोतवाली कासगंज</u>

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 20/21.12.2024 की रात्रि थाना कोतवाली कासगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान ग्राम तरारपुर जंगल हजारा नहर भूल भुलैया पुल के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त बबलू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली कासगंज से वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद कासगंज, एटा, कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली कासगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—बबलू निवासी मोहल्ला हिदायतनगर थाना व जनपद कासगंज।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद कुशीनगर/थाना सेवरही

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 21.12.2024 को थाना सेवरही पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त विरेन्द्र उर्फ चेरा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सेवरही पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विरेन्द्र उर्फ चेरा निवासी कस्तुरबा थाना चौराखास जनपद कुशीनगर।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद बुलन्दशहर/थाना पहासू

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 20/21.12.2024 की रात्रि थाना पहासू पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सोई का नंगला की पुलिया के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो

बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त रूपेन्द्र उर्फ पैना घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद फतेहगढ़, एटा, अलीगढ़, बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 32 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना पहासू पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रूपेन्द्र उर्फ पैना निवासी भूपनगर कस्बा व थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बुलन्दशहर/थाना नरौरा

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **घटना में प्रयुक्त 01 कार**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 20/21.12.2024 की रात्रि थाना नरौरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान वाजिदपुर पुलिया के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–शाकिर 2–देवेन्द्र घायल हो गये, जिन्हें अभियुक्त 3–नदीम 4–बॉबी उर्फ शाहिद सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से घटना में प्रयुक्त 01 कार, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शाकिर के विरूद्ध जनपद सम्भल, बदायूं, बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर हत्या, हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग, अभियुक्त देवेन्द्र के विरूद्ध जनपद सम्भल, बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 19 अभियोग, अभियुक्त नदीम के विरूद्ध जनपद सम्भल, बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग व अभियुक्त बॉबी उर्फ शाहिद के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना नरौरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शाकिर निवासी टंकी मोहल्ला कस्बा दहगंवा थाना जरीफनगर जनपद बदायूं।

2—देवेन्द्र निवासी ग्राम चबूतरा थाना जुनावई जनपद सम्भल।

3—नदीम निवासी मिर्जापुर थाना बहजोई जनपद सम्भल।

4—बॉबी उर्फ शाहिद निवासी अंसारी मोहल्ला थाना फतेहगंज जनपद बरेली।

बरामदगी

1—घटना में प्रयुक्त 01 कार।

2—03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद मथुरा/थाना हाईवे

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 30 लाख रूपये (कीमत) के 142 किग्रा0 अवैध गांजा**
- **08 किग्रा0 वेस्टेज (पोलोथीन)**
- **घटना में प्रयुक्त कार (बिना नम्बर)आदि बरामद**

दिनॉकः 21.12.2024 को थाना हाईवे पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर असगरपुर तिराहा गोवर्धन रोड से 02 अभियुक्तों 1—सामून अहमद 2—सारिफ को

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 30 लाख रूपये (कीमत) के 142 किग्रा0 अवैध गांजा, 08 किग्रा0 वेस्टेज (पोलोथीन), घटना में प्रयुक्त कार आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना हाईवे पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सामून अहमद निवासी गॉव कालन्द तहसील सरधना जनपद मेरठ।

2—सारिफ निवासी ज्वाहर मोहल्ला पडपड गंज, दिल्ली।

बरामदगी

1—लगभग 30 लाख रूपये (कीमत) के 142 किग्रा0 अवैध गांजा।

2—08 किग्रा0 वेस्टेज (पोलोथीन)।

3—घटना में प्रयुक्त कार (बिना नम्बर)आदि।

- **जनपद गोण्डा/थाना नवाबगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को मृत्युदण्ड की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोण्डा द्वारा थाना नवाबगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त विश्वनाथ को मृत्युदण्ड व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद फतेहपुर/थाना हुसेनगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना हुसेनगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/377/363/364/201 भादवि व धारा 06 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त श्यामू को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद हमीरपुर/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201/394 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रिजवान को आजीवन कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद कन्नौज (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 11 करोड़ 63 लाख 22 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद कन्नौज पुलिस ने अभियुक्त 1–नवाब सिंह यादव पुत्र स्व0 चेतराम 2–वीरपाल उर्फ नीलू पुत्र स्व0 चेतराम निवासीगण ग्राम अडंगापुर थाना कोतवाली कन्नौज जनपद कन्नौज द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति कीमत करीब 11 करोड़ 63 लाख 22 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

———–